न्यायालय सिविल जज (सी०डि०)फास्ट ट्रैक कोर्ट/ए०सी०जे०एम०, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–3972/2026,

उ०प्र० राज्य ..... बनाम.....ललितकिशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह वगै०।

मु०अ०सं०– 83/2026

अन्तर्गत धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 204 बी०एन०एस०

थाना–गुलरिहा , जिला–गोरखपुर

दिनांक 26–05–2026

1– थाना–गुलरिहा, जिला–गोरखपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०– 83/2026, धारा– 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 204 बी०एन०एस० के आरोपित अभियुक्तगण परमानन्द गुप्ता व रामनयन गुप्ता की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 26–02–2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है।

2– अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे फर्जी रूप से फंसाया गया है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3– विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अपराध अजमानतीय व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने का कथन किया गया है।

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण पर आपस में अपराधिक षडयंत्र करते हुये गौरव कुमार सिंह उर्फ ललितकिशोर को फर्जी आई.ए.एस. बनाकर उसके फर्जी कार्यालय झुंगीया ले जाते थे और सुनियोजित तरीके से फर्जी कागज बनाकर पद एवं पावर दिखाकर जमीन बेचने की बात करते थे और लोगों का पैसा लेकर गबन एवं धोखाधडी करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय, गैरजमानतीय अशमनीय व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। जमानत पर रिहा किये जाने पर अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को नष्ट करने व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे भाग जाने के संभावना है। आरोपति अपराध की प्रकृति एवं मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

6– अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पर निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

प्रभारी सिविल जज(सी0डि0)फास्ट ट्रैक कोर्ट/

ए0सी0जे0एम0, गोरखपुर।